न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट, बारां जिला बारां

मुकदमा संख्या – 292/2018
सीआईएस संख्या – 4680/2018 सीएनआर संख्या RJBR020032692018
सरकार बनाम गुडडूराम उर्फ गुडडू
अपराध अन्तर्गत धारा 4/21 एमएमआरडी एक्ट व 379 भादस

दिनांक	आदेश	आदेश की पालना बाबत रिपोर्ट
24.09.2024	सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। मुलजिम गुडडूराम उर्फ गुडडू अनुपस्थित। मुलजिम का गिरफ्तारी वारण्ट अदम तामील पेश किया। जिस पर तामील कुनिंदा गिर्राज कानिस्टेबल 626 पीएस सदर बारां जिला बारां के बयान लिये गये, का अवलोकन किया गया। गिरफ्तारी वारण्ट की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर यह प्रकट होता है कि अभियुक्त गिरफ्तारी से बच रहा है एवं अपनी सकूनत से रूहपोष हो गया है। जिससे उसके निकट भविष्य मे मिलने की सम्भावना नहीं है। ऐसे में अभियुक्त को मफरूर घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उक्त मुलजिम को फरार घोषित किया जाता है। प्रकरण में तात्विक गवाहों की साक्ष्य लेखबद्ध की जा चुकी है। मुलजिम के विरूद्ध 82–83 सीआरपीसी की कार्यवाही पृथक से खोली जावे। मुलजिम के विरूद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारण्ट जारी किया जावे व संबंधित थाने से आमद क्रमांक तलब किये जाने का लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे। इस स्तर पर पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। पत्रावली के मुख्य पृष्ठ पर लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे कि प्रकरण मे मुलजिम फरार है, अतः पत्रावली का कोई भाग नष्ट नहीं किया जावे। (अरुण प्रकाश आर्य) न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां जिला बारां	